

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 जनवरी 2014—पौष 26, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2014

क्र. एफ 2-3-2009-एक-10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता), तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)

वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों के नाम

अनु- क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान+ग्रेड-पे (5)
1	उपयंत्री	7	तृतीय श्रेणी तकनीकी (कार्यपालिक)	9300-34800+3200
2	सहायक मानचित्रकार	1	तृतीय श्रेणी तकनीकी (अलिपिक वर्गीय)	5200-20200+2400
3	अनुरेखक	2	तृतीय श्रेणी तकनीकी (अलिपिक वर्गीय)	5200-20200+1900

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	संभागीय लेखापाल (मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा).	1	तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	9300-34800+3600
5	अधीक्षक	1	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	9300-34800+3600
6	वरिष्ठ निज सहायक	1	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	9300-34800+4200
7	निज सहायक	5	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	9300-34800+3600
8	शीघ्र लेखक	2	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	5200-20200+2800
9	स्टेनो टाईपिस्ट	1	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	5200-20200+1900
10	सहायक ग्रेड-1	3	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	5200-20200+2800
11	सहायक ग्रेड-2	2	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	5200-20200+2400
12	सहायक ग्रेड-3	5	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	5200-20200+1900
13	वाहन चालक (ड्रायवर)	3	तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	5200-20200+1900

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)
भर्ती का तरीका

अनु- क्रमांक	सेवा / पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता		
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6(1) (क) देखिए]	सेवा में सदस्यों की पदोन्नति की संख्या [नियम 6(1) (ख) देखिए]	अन्य सेवा के सदस्यों के स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा [नियम 6(1)(ग) देखिए]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उपयंत्री	7	-	-	100 प्रतिशत-यांत्रिकी विभागों में समकक्ष पदों पर पदस्थ कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति से.
2	सहायक मानचित्रकार	1	-	100 प्रतिशत	-
3	अनुरेखक	2	100 प्रतिशत	-	-
4	संभागीय लेखापाल (म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा).	1	-	-	100 प्रतिशत कोष एवं लेखा संचालनालय से प्रतिनियुक्ति पर.
5	अधीक्षक	1	-	100 प्रतिशत	-
6	वरिष्ठ निज सहायक	1	-	100 प्रतिशत	-
7	निज सहायक	5	-	100 प्रतिशत	-
8	शीघ्र लेखक	2	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	स्टेनो टाईपिस्ट	1	100 प्रतिशत	-	-
10	सहायक ग्रेड-1	3	-	100 प्रतिशत	-
11	सहायक ग्रेड-2	2	-	100 प्रतिशत	-
12	सहायक ग्रेड-3	5	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिन्होंने हायर सेकेण्ड्री परीक्षा (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत उत्तीर्ण कर ली हो तथा कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा 25 शब्द प्रतिमिनिट की गति के प्रमाण-पत्र के साथ उत्तीर्ण की हो.
13	वाहन चालक	3	100 प्रतिशत	-	-

अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती के लिए निबंधन तथा शर्तें

विभाग का नाम (1)	पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	विहित की गई शैक्षणिक अर्हताएँ (5)
सामान्य प्रशासन विभाग.	1. शीघ्रलेखक	18	35	माध्यमिक शिक्षा मण्डल या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या पॉलिटेक्निक/ आई.टी.आई. से 100 शब्द प्रति मिनिट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का भी प्रमाण-पत्र तथा नीचे दी गई मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की हो :- 5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि (डिप्लोमा). 6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि (डिप्लोमा). 7. डी.ओ.ई.ए.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा. 8. शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मार्डन आफिस मेनेजमेंट कोर्स.
सामान्य प्रशासन विभाग.	2. स्टेनो टाईपिस्ट	18	35	माध्यमिक शिक्षा मण्डल या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण की हो.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>(क) आई.टी.आई. से 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र हो अथवा</p> <p>(ख) मध्यप्रदेश से 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन तथा शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र.</p> <p>(ग) नीचे दी गई मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से परीक्षा उत्तीर्ण की हो :—</p> <p>5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि (डिप्लोमा).</p> <p>6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि (डिप्लोमा).</p> <p>7. डी.ओ.ई.ए.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा.</p> <p>8. शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट कोर्स.</p>
सामान्य प्रशासन विभाग.	3. सहायक ग्रेड-3	18	35	<p>माध्यमिक शिक्षा मण्डल या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा मध्यप्रदेश हिन्दी शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो तथा नीचे दी गई मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की हो :—</p> <p>5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि (डिप्लोमा).</p> <p>6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि (डिप्लोमा).</p> <p>7. डी.ओ.ई.ए.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा.</p> <p>8. शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट कोर्स.</p>
सामान्य प्रशासन विभाग.	4. अनुरेखक	18	25	<p>माध्यमिक शिक्षा मण्डल या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा चित्रकला को एक विषय के रूप में लेकर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इन्टरमीडियेट ग्रेड चित्रकला परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p>
सामान्य प्रशासन विभाग.	5. वाहन चालक	18	35	<p>8वीं उत्तीर्ण तथा सक्षम प्राधिकारी से वाहन चलाने का लायसेंस.</p>

अनुसूची-चार

(नियम 14 देखिए)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	कॉलम (3) के पदों के लिए पदोन्नति हेतु कॉलम (2) के पदों न्यूनतम सेवा	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सामान्य प्रशासन विभाग.	1. निज सहायक	वरिष्ठ निज सहायक	5 वर्ष	मुख्य अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिकी), मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उपसचिव—सदस्य. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि (द्वितीय श्रेणी)—सदस्य.
सामान्य प्रशासन विभाग.	2. शीघ्रलेखक	निज सहायक	5 वर्ष	मुख्य अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिकी), मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उपसचिव—सदस्य. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि (द्वितीय श्रेणी)—सदस्य.
सामान्य प्रशासन विभाग.	3. स्टेनो टाईपिस्ट	शीघ्रलेखक	5 वर्ष	मुख्य अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिकी), मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उपसचिव—सदस्य. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि (द्वितीय श्रेणी)—सदस्य.
सामान्य प्रशासन विभाग.	4. सहायक ग्रेड-1	अधीक्षक	5 वर्ष	मुख्य अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिकी), मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उपसचिव—सदस्य. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि (द्वितीय श्रेणी)—सदस्य.
सामान्य प्रशासन विभाग.	5. सहायक ग्रेड-2	सहायक ग्रेड-1	5 वर्ष	मुख्य अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिकी), मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उपसचिव—सदस्य. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि (द्वितीय श्रेणी)—सदस्य.
सामान्य प्रशासन विभाग.	6. सहायक ग्रेड-3	सहायक ग्रेड-2	5 वर्ष	मुख्य अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिकी), मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उपसचिव—सदस्य. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि (द्वितीय श्रेणी)—सदस्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सामान्य प्रशासन विभाग.	7. अनुरेखक	सहायक मानचित्रकार	5 वर्ष	मुख्य अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिकी), मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उपसचिव—सदस्य. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि (द्वितीय श्रेणी)—सदस्य.
सामान्य प्रशासन विभाग.	8. भृत्य	सहायक ग्रेड-3	5 वर्ष	मुख्य अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिकी), मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उपसचिव—सदस्य. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि (द्वितीय श्रेणी)—सदस्य.

No. F. 2-3-2009-One-10.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Chief Technical Examiner (Vigilance) Class-III Services Recruitment Rules, 1988, namely :—

AMENDMENT

In the said rules for Schedule-I, II, III and IV, the following Schedules shall be substituted, namely :—

SCHEDULE – I (See Rule-5)

Classification, Pay Scale and name of the post included in the Service

S.No.	Name of the Posts included in the Service	Number of the Post	Classification	Pay Scale + Grade Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sub-Engineer	7	Class -III, Technical (Executive)	9300-34800+3200
2	Assistant Draftsman	1	Class -III, Technical (Non ministerial)	5200-20200+2400
3	Tracer	2	Class -III, Technical (Non ministerial)	5200-20200+1900
4	Divisional Accountant (Madhya Pradesh Subordinate Accounts service).	1	Class -III, (Non ministerial)	9300-34800+3600
5	Superintendent	1	Class -III, (Ministerial)	9300-34800+3200
6	Senior Personal Assistant	1	Class -III, (Ministerial)	9300-34800+4200
7	Personal Assistant	5	Class -III, (Ministerial)	9300-34800+3600
8	Stenographer	2	Class -III, (Ministerial)	5200-20200+2800

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Steno-Typist	1	Class -III, (Ministerial)	5200-20200+1900
10	Assistant Grade-I	3	Class -III, (Ministerial)	5200-20200+2800
11	Assistant Grade-II	2	Class -III, (Ministerial)	5200-20200+2400
12	Assistant Grade-III	5	Class -III, (Ministerial)	5200-20200+1900
13	Driver	3	Class -III, (Non ministerial)	5200-20200+1900

SCHEDULE-II
(See Rule 6)

Mode of Recruitment

S. No.	Name of the Service of Post	Total number of post	Percentage of the Number of Post to be filled		
			By Direct recruitment [see rules 6 (i) (a)]	By Promotion of the member of service [See rules 6 (i) (b)]	By transfer/deputation of the members of the other services [See rule 6(i) (c)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sub Engineer	7	-	-	100% from deputation Employees posted on equivalent post in the Engineering Department.
2	Assistant Draftsman	1	-	100%	-
3	Tracer	2	100%	-	-
4	Divisional Accountant (MPSAS)	1	-	-	100% from the Directorate of Treasuries and Accounts on Deputation.
5	Superintendent	1	-	100%	-
6	Senior Personal Assistant.	1	-	100%	-
7	Personal Assistant	5	-	100%	-
8	Stenographer	2	50%	50%	-
9	Steno-Typist	1	100%	-	-
10	Assistant Grade-I	3	-	100%	-
11	Assistant Grade-II	2	-	100%	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Assistant Grade-III	5	75%	25%	Class IV Employees who have passed Higher Secondary (under 10+2) Education System examination and completed at least 5 years of service passed Hindi Typewriting Examination from Madhya Pradesh Board of Shorthnad and Typewriting examination or any from recognized Institution. with minimum 25 words per minute speed with certificate.
13	Driver	3	100%	-	-

SCHEDULE – III
(See Rule-8)

Terms & Conditions of Direct Recruitment

Name of the Department	Name of the post	Minimum Age Limit	Upper Age Limit	Educational Qualifications
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
General Administration Department.	Stenographer	18	35	<p>Passed Higher Secondary (under 10+2) Education System from the Board of Secondary Education or any recognized institution and also passed the Shorthand Examination from the Madhya Pradesh Board of Shorthand and Typewriting Exam or passed Polytechnic/ITI Shorthand examination from Madhya Pradesh with minimum 100 words per minute speed and passed Computer examination from any of the recognized Institution below:—</p> <p>5. Diploma from any University recognized by U.G.C.</p> <p>6. Diploma from any University recognized by U.G.C.</p> <p>7. Diploma level examination from DOEACC.</p> <p>8. Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
General Administration Department	Steno Typist	18	35	<p>Passed Higher Secondary (under 10+2) Education System from the Board of Secondary Education or any recognized institution.</p> <p>(a) passed Hindi Shorthand Examination 80 words per minute Certificate from the ITI.</p> <p>(b) passed Hindi Shorthand and Typewriting examination from Madhya Pradesh with minimum 80 words per minute speed Certificate.</p> <p>(c) passed Computer examination from any of the recognized Institution below:-</p> <p>5. Diploma from any University recognized by U.G.C.</p> <p>6. Diploma from any University recognized by U.G.C.</p> <p>7. Diploma level examination from DOEACC.</p> <p>8. Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.</p>
General Administration Department	Assistant Grade-III	18	35	<p>Passed Higher Secondary (under 10+2) Education System from the Board of Secondary Education and should have passed Hindi Typewriting examination from the Board of Shorthand and Typewriting Examination Madhya Pradesh and from any recognized Institution and or passed Computer examination from any of the recognized Institution below:—</p> <p>5. Diploma from any University recognized by U.G.C.</p> <p>6. Diploma from any Open University recognized by U.G.C.</p> <p>7. Diploma level examination from DOEACC.</p> <p>8. Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.</p>
General Administration Department	Tracer	18	35	<p>Passed Higher Secondary (under 10+2) Education System from the Board of Secondary Education and should have passed Intermediate grade drawing Examination offering drawing as a subject from any recognized Institution.</p>
General Administration Department.	Driver	18	35	<p>8th Passed and Driving License from Competent Authority.</p>

SCHEDULE – IV

(See Rule-14)

Name of the Department	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Minimum service on the post of column (2) for promotion for the post in column (3)	Members of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
General Administration Department.	1. Personal Assistant	Senior Personal Assistant.	5 years	Chief Engineer (E/M), Chief Engineer, P.W.D., Deputy Secretary—Member Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Representative (Class-II)—Member.
General Administration Department.	2. Stenographer	Personal Assistant	5 years	Chief Engineer (E/M), Chief Engineer, P.W.D., Deputy Secretary—Member Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Representative (Class-II)—Member.
General Administration Department.	3. Steno Typist	Stenographer	5 years	Chief Engineer (E/M), Chief Engineer, P.W.D., Deputy Secretary—Member Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Representative (Class-II)—Member.
General Administration Department.	4. Assistant Grade-I	Superintendent	5 years	Chief Engineer (E/M), Chief Engineer, P.W.D., Deputy Secretary—Member Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Representative (Class-II)—Member.
General Administration Department.	5. Assistant Grade-II	Assistant Grade-I	5 years	Chief Engineer (E/M), Chief Engineer, P.W.D., Deputy Secretary—Member Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Representative (Class-II)—Member.
General Administration Department.	6. Assistant Grade-III	Assistant Grade-II	5 years	Chief Engineer (E/M), Chief Engineer, P.W.D., Deputy Secretary—Member Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Representative (Class-II)—Member.
General Administration Department.	7. Tracer	Assistant Draftsman	5 years	Chief Engineer (E/M), Chief Engineer, P.W.D., Deputy Secretary—Member Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Representative (Class-II)—Member.
General Administration Department.	8. Peon	Assistant Grade-III	5 years	Chief Engineer (E/M), Chief Engineer, P.W.D., Deputy Secretary—Member Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Representative (Class-II)—Member.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.